रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06072023-247099
CG-DL-E-06072023-247099

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2858] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 6, 2023/आषाढ़ 15, 1945
No. 2858] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 6, 2023/ASHADHA 15, 1945

विद्युत मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 28 जून, 2023

का.आ. 2983(अ).—जबकि मैसर्स एसजेवीएन लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय शक्ति सदन, कॉरपोरेट कार्यालय परिसर, शानन, शिमला-171006 है, ने पारेषण योजना "मैसर्स एसजेवीएन लिमिटेड के 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र, जिला बीकानेर, राजस्थान से कनेक्टिविटी के सन्दर्भ में" के तहत बिजली की तारें बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है।

और जबकि, के.वि.प्रा., विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. I/24468/2022 दिनांक 11.11.2022 के द्वारा पारेषण योजना "मैसर्स एसजेवीएन लिमिटेड के 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र, जिला बीकानेर, राजस्थान से कनेक्टिविटी के सन्दर्भ में" के अंतर्गत आने वाली शिरोपरि लाइनों के लिए मैसर्स एसजेवीएन लिमिटेड को विद्युत अधिनियम की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

मेसर्स एसजेवीएन लिमिटेड ने 15.11.2022 (द टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर) के स्थानीय अखबारों तथा भारत का राजपत्र साप्ताहिक दिनांक 10.12.2022 से 16.12.2022 में पारेषण योजना के लिए प्रस्तावित पारेषण मार्ग पर प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर आम जनता की टिप्पणियों/ अभ्यावेदन की मांग करते हुए नोटिस प्रकाशित किया था । इसके पश्चात, मैसर्स एसजेवीएन लिमिटेड ने 15.02.2023 दिनांकित एक हलफनामा प्रस्तुत किया जिसमें घोषणा की गई कि राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो महीने के भीतर

मैसर्स जुनिपर ग्रीन कॉस्मिक प्राइवेट लिमिटेड (जेजीसीपीएल) से 01 आपत्ति प्राप्त हुई थी। हालाँकि, मैसर्स जीसीपीएल ने इसे पत्र सं. JGPCL/Raj/2023/01/04, दिनांक 09.02.2023, द्वारा वापस ले लिया था। इसके अलावा, भारत के समाचार पत्रों/राजपत्र में उपरोक्त पारेषण योजना के लिए सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर जनता से कोई अन्य आपत्ति/अभ्यावेदन प्राप्त नहीं की गई है।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत पारेषण योजना "मैसर्स एसजेवीएन लिमिटेड के 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र, जिला बीकानेर, राजस्थान से कनेक्टिविटी के सन्दर्भ में" के तहत विद्युत लाइन बिछाने के लिए उसे वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए या स्थापित होने वाली टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है। पारेषण योजना के अंतर्गत निम्नलिखित शिरोपरि लाईन हैं:

एसजेवीएनएल जनरेशन पी.एस. - बीकानेर-II पी.एस. 400 के.वी एस/सी लाइन डी/सी टावर पर (लगभग 22 किमी)

स्कीम के अंतर्गत शिरोपरि लाईन निम्नलिखित गांवों, नगरों और शहरों से, उनके ऊपर से, उनके आस-पास से तथा उनके बीच से गुजरेगी:-

क्र.सं.	गांवों के नाम	तहसील	ज़िला	राज्य
1.	बान्दरेवाला	पूगल	बीकानेर	राजस्थान
2.	दीनसर	पूगल	बीकानेर	राजस्थान
3.	बराला	पूगल	बीकानेर	राजस्थान
4.	भानीपुरा	पूगल	बीकानेर	राजस्थान
5.	शरह बरोला	बीकानेर	बीकानेर	राजस्थान
6.	गोल प्रताप सिंह	बीकानेर	बीकानेर	राजस्थान
7.	कावनी	बीकानेर	बीकानेर	राजस्थान
8.	मेहरासर	बीकानेर	बीकानेर	राजस्थान
9.	जयमलसर	बीकानेर	बीकानेर	राजस्थान
10.	नोखा दैया	कोलायत	बीकानेर	राजस्थान
11.	रणधीसर	कोलायत	बीकानेर	राजस्थान

अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, मैसर्स एसजेवीएन लिमिटेड को उपरोक्त शिरोपरि लाइनों को लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो टेलीग्राफ के उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए या स्थापित होने वाली टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है-

i. यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।

ii. आवेदक को प्रस्तावित लाइनों की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकारियों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।

iii. आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए पारेषण, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।

iv. आवेदक केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइनों का प्रचालन करेगा।

v. यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अध्यधीन है।

vi. मेसर्स एसजेवीएन लिमिटेड को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।

vii. यदि उपरोक्त ओवरहेड लाइनों का मार्ग (या उपरोक्त ओवरहेड लाइन के मार्ग का कुछ भाग) मानचित्र में चिह्नित जीआईबी संभावित क्षेत्र (या प्राथमिकता क्षेत्र) में आता है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जीआईबी मामले के संबंध में 2019 की याचिका संख्या 838, आदेश दिनांक 19.04.2021 का हिस्सा है । आवेदक को उपरोक्त ओवरहेड ट्रांसमिशन के भूमिगत होने के संबंध या बर्ड डायवर्टर लगाने के लिये, जैसा भी मामला हो, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 19.04.2021 के निर्देशों का और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित तकनीकी समिति के निर्देशों का पालन करना है ।

[फ़ा. सं. 25-16/1/2023-पीजी]

संजीव जैन, अवर सचिव

MINISTRY OF POWER

ORDER

New Delhi, the 28th June, 2023

S.O. 2983(E).—whereas M/s SJVN Limited, the applicant with its registered office at Shakti Sadan, Corporate Office Complex, Shanan, Shimla-171006, has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of electric line under the transmission scheme "Connectivity to M/s SJVN Limited for its 1000 MW Solar Power Plant in Bikaner, Rajasthan".

And whereas, CEA, Ministry of Power, Government of India vide its letter no. I/24468/2022 dated 11.11.2022 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 to M/s SJVN Limited for the overhead lines covered under the transmission scheme "Connectivity to M/s SJVN Limited for its 1000 MW Solar Power Plant in Bikaner, Rajasthan".

M/s SJVN Limited had published notice for transmission scheme in local newspapers dated 15.11.2022 (Times of India, Hindustan Times, Rajasthan Patrika and Dainik Bhaskar) and in Weekly Gazette of India dated 10.12.2022 to 16.12.2022 for the general public to make observations/representations on the proposed transmission route within 60 days from the date of publication. Subsequently M/s SJVN Limited has submitted an affidavit dated 15.02.2023 declaring that 01 objection was received from M/s Juniper Green Cosmic Private Limited (JGCPL), within two months from the date of publication in gazette. However, the same was withdrawn by M/s JGCPL vide letter No. JGPCL/Raj/2023/01/04 dated 09.02.2023. Further, no other objections/representations have been received from the public within 60 days of publication of Public Notice for the above transmission scheme in Newspapers/ Gazette of India.

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of electric lines under the transmission scheme "Connectivity to M/s SJVN Limited for its 1000 MW Solar Power Plant in Bikaner, Rajasthan". The following overhead lines are covered under this transmission scheme:

"SJVN generation pooling substation – Bikaner-II PS 400kV S/C line on D/C tower (approx. 22 km)"

The above overhead lines included under the scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities:

Sl. No.	Village	Tehsil	District	State
1	Bandarewala	Poogal	Bikaner	Rajasthan
2	Deensar	Poogal	Bikaner	Rajasthan
3	Barala	Poogal	Bikaner	Rajasthan
4	Bhanipura	Poogal	Bikaner	Rajasthan
5	Sarah Barola	Bikaner	Bikaner	Rajasthan
6	Gol Pratap Singh	Bikaner	Bikaner	Rajasthan
7	Kawni	Bikaner	Bikaner	Rajasthan
8	Mehrasar	Bikaner	Bikaner	Rajasthan
9	Jaimalsar	Bikaner	Bikaner	Rajasthan
10	Nokha Daiya	Kolayat	Bikaner	Rajasthan
11	Randhisar	Kolayat	Bikaner	Rajasthan

Now, after careful consideration, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s SJVN Limited for laying above overhead lines, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned lines, namely:

i. The approval is granted for 25 years;

ii. The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e. local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed lines;

iii. The Applicant shall have to follow regulations/codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under the Electricity Act, 2003.

iv. The Applicant shall operate the lines after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.

v. The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.

vi. M/s SJVN Limited shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defence etc., at the time of Electrical Inspection.

vii. In case, the route of above overhead lines (or some portion of the route of above overhead line) falls in the Great Indian Bustard (GIB) potential area (or priority area) marked in the map which is part of the order of the Hon'ble Supreme Court order dated 19.04.2021, in the petition No.838 of 2019 regarding GIB case, the applicant has to comply with the directions of the Hon'ble Supreme Court, with regard to undergrounding of the above overhead transmission line and/or fixing of bird diverters, as the case may be as per the Hon'ble Supreme Court Order dated 19.04.2021 and the directions of the technical committee constituted by the Hon'ble Supreme Court in this regard.

[F. No. 25-16/1/2023-PG]

SANJEEV JAIN, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.07.06 16:00:09 +05'30'